

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 60]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2025—फाल्गुन 5, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

क्रमांक एफ ए 3-11/2018/1/पांच(03) :मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप-धारा(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-11-2018-1-पांच(17) दिनांक 25.01.2018 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 4 के सामने, कॉलम (4) में, प्रविष्टि "6%" के स्थान पर, प्रविष्टि "9%" प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 16 जनवरी, 2025 से प्रवृत्त मानी जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

क्रमांक एफ ए 3-11-2018-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-11-2018-1-पांच (03), दिनांक 24 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 24th February 2025

No. F A 3-11/2018/1/V(03) : In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this Department's notification No. F A 3-11-2018-1-V(17) dated 25th January, 2018, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against S.No. 4, in column (4), for the entry "6%", the entry "9%" shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to come into force on the 16th day of January, 2025.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.